संख्या-33/2026/1015/001-95-1002-1-2024

प्रेषक,

कैलाश नाथ राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगाड्र्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाड्र्स अनुभाग लखनऊ : दिनांक 05-08-2026

विषय:- होमगाड्र्स विभाग के निष्प्रयोज्य/नीलाम किये गये 07 अदद चार पहिया हल्के वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप 07 अदद मारूती अर्टिगा वाहन क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3911/अनु0वाहन-16/2026, दिनांक 16 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय निष्प्रोज्य/नीलाम किये गये 07 अदद चार पहिया हल्के वाहनों (UP 21 AG-0306, UP 32 BG-5099, UP 32 BG-1946, UP 42 AG-0109, UP 41 G-0112, UP 32 BG-5091 एवं UP 14 AG-0447) के प्रतिस्थापन स्वरूप 07 अदद मारूती अर्टिगा SMART HYBRID ZXI 1.5L 5MT के क्रय हेतु कुल रू0 67,23,640/- (रुपये सड़सठ लाख तेईस हजार छह सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) विभागाध्यक्ष/महासमादेष्टा इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के नवीनतम शासनादेश संख्या-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) इस संबंध में सुसंगत लेखाशीर्ष से विभागाध्यक्ष स्वस्तर से सुनिश्चित हो लेंगे।

(3) धनराशि आहरित करने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा जब वाहन क्रय से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(4) विभागाध्यक्ष कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहन के मेक/मॉडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध विभागीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(5) विभागाध्यक्ष क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट को लेंगे।

(6) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 तथा इस संबंध में समय-समय पर किये गए संशोधनों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3-   इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,23,640 (रुपये सड़सठ लाख तेईस हजार छह सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 074 **लेखा शीर्षक** 4070008000900 होमगार्ड्स-सामान्य अधिष्ठान **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4-   यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-152-X-2026-27, दिनांक 04-08-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कैलाश नाथ राम
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2026/1015(1) /001-95-1002-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित नियंत्रक, होमगार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, वितीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
उप सचिव।

http://Shasanadesh

1-   यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-   इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।